उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-3

संख्या-3/105/38-3-2016-36एल0सी0/2014

लखनऊ: दिनांक 12 फरवरी 2016

**<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>**

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS)-जन-सुनवाई के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत अनुभाग-5 के पत्र संख्या-01/चौंतीस-लो0शि0-5/ 2016, दिनांक 16 जनवरी, 2016 द्वारा दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया जाना है। लोक शिकायत अनुभाग-5 के निर्देश के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग में शासन स्तर तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर निम्नानुसार अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनके साथ कम्प्यूटर आपरेटर (सहायक) सम्बद्ध किया जाता है:-

| क्र0 | कार्यालय | अधिकारी का नाम/ पदनाम | सम्पर्क | सम्बद्ध सहायक |
|---|---|---|---|---|
| 1. | शासन स्तर | सुश्री भावना श्रीवास्तव, विशेष सचिव | 9415018743 | श्री अतुल चौधरी, कम्प्यूटर सहायक ग्रा0वि0 अनु0-2 |
| 2. | आयुक्त ग्राम्य विकास (मुख्यालय) | श्रीमती प्रियवंदा यादव, उपायुक्त | 9415766053 | श्री मनमोहन त्रिपाठी, कम्प्यूटर आपरेटर |
| 3. | राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | श्री फरीद हैदर रिजवी, संयुक्त मिशन निदेशक | 9415169220 | डा0 एस0एम0 इमरान, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर |
| 4. | उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण | श्री कुद्दूश अंसारी, अधिशासी अभियंता | 7318073587 | श्री मो0 मुर्तजा, कम्प्यूटर इंचार्ज |
| 5. | राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन | श्री श्रीनिवास मिश्रा पेयजल अभियन्ता | 9415002168 | श्री संतोष कुमार, एम एण्ड ई |
| 6. | महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना | श्री राम सेवक, उपायुक्त | 7398480874 | श्री राजेन्द्र कुमार, कम्प्यूटर आपरेटर |

2- उपर्युक्तानुसार नामित नोडल अधिकारियों द्वारा लोक शिकायत अनुभाग-5 से निर्गत शासनादेश दिनांक 16 जनवरी, 2016 का अनुपालन सम्बद्ध सहायक के सहयोग से सुनिश्चित कराया जायेगा।

3- मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय तथा अन्य स्तरों पर होने वाली समस्त बैठकों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा अद्यतन सूचना लोक शिकायत अनुभाग-5 को समय-समय पर प्रेषित करने हेतु

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नोडल अधिकारी उत्तरदायी होंगे। सूचनायें ग्राम्य विकास अधिष्ठान (ग्राम्य विकास अनुभाग-2) के माध्यम से प्रेषित की जायेंगी।

4- उपर्युक्तानुसार नामित नोडल अधिकारियों/ सहायक का स्थानान्तरण हो जाने की स्थिति में ग्राम्य विकास अनुभाग-2 द्वारा नोडल अधिकारी नामित कर वेबसाइट पर अपडेट करते हुए मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

5- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि उक्त संदर्भित शासनादेश के अनुक्रम में समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव।

**संख्या-3/105(1)/38-3-2016, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास विभाग।
3. निजी सचिव, सचिव मा0 मुख्यमंत्री, लोक शिकायत अनुभाग-5
4. समस्त विशेष सचिव/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।
6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, उ0प्र0।
8. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0।
9. अपर आयुक्त (मनरेगा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
10. सम्बन्धित नामित नोडल अधिकारी को कृपया मुख्यमंत्री कार्यालय के शासनादेश दिनांक 16-01-2016 के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
11. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
12. समन्वय अनुभाग।
13. समस्त अनुभाग ग्राम्य विकास विभाग।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( कामता प्रसाद )
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in